राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1785/2025

डॉ. राम निवास चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) एवं पंचायत राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीएचसी कसारवाडी, सज्जनगढ़, बांसवाडा में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सीएचसी थाडा, प्रतापगढ किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की पदोन्नति आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा दिनांक 14.12.2024 को अपीलार्थी ने पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण किया और कार्यग्रहण पश्चात् मात्र एक माह की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश के द्वारा थाडा, प्रतापगढ किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर स्थानान्तरण आलोच्य आदेश एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी पदोन्नति से पूर्व उसी स्थान पर कार्यरत था और पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी सीएचसी कसारवाडी, सज्जनगढ़, बांसवाडा में ही पदस्थापित था और इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 2016 से कसारवाडी में ही पदस्थापित है और पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी का लगभग 9 वर्ष पश्चात् स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी का स्थानांतरण अल्पावधि में किया गया है। स्थानांतरण प्रक्रिया सेवा का अभिन्न अंग है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अथवा राज्यहित में ली जानी है। इस प्रकार हम आलोच्य स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष